

**अनुदान संख्या 69 - खान मंत्रालय**  
**GRANT No. 69 - MINISTRY OF MINES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2295,14,00		
		3486,84,00	3461,25,87	-25,58,13
पूरक	Supplementary	1191,70,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			24,54,35

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	45,92,00		
		46,16,00	46,00,10	-15,90
पूरक	Supplementary	24,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			15,75

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय — आर्थिक सेवाएँ	Secretariat — Economic Services			
मू.	O.	6993.00		
पू.	S.	1099.00	7309.96	7302.80
पु.	R.	-782.04		-7.16

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6721.00			
			..	..	..
पु.	R.	-6721.00			
मुख्य शीर्ष “2853”	Major Head “2853”				
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	215800.00			
पू.	S.	118071.00	338919.69	338823.07	-96.62
पु.	R.	5048.69			

(I) ₹7041.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6237.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष “2552” – “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन एवं प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप” के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7041.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹6237.00 lakhs alone accounted for under Major Head “2552” - “Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India Activities” - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – खान मंत्रालय” के अंतर्गत ₹6993.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹1099.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8092.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो एएसओ/पीए/पीएस के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹789.20 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Mines” - the original provision of ₹6993.00 lakhs was augmented to ₹8092.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1099.00 lakhs in December, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹789.20 lakhs - due to non-filling up of vacant posts of ASOs/PA/PS.

(III) मुख्य शीर्ष “2853” – “खानों का विनियमन और विकास – खान ब्यूरो – भारतीय खान ब्यूरो” के अंतर्गत ₹903.12 लाख की बचत (₹10967.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और समूह

(III) Under Major Head “2853” - “Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines” - saving of ₹903.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10967.00

‘ग’ कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2853” – “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण” – ₹5703.16 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹91155.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पदोन्नति पर भत्ते/बकाया राशि और रिक्त पदों को भरने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप” – ₹620.20 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹25.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7008.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और किराए पर ली गई इमारतों के किराए के भुगतान, 37<sup>वें</sup> आईजीसी प्रतिभागियों के विदेश यात्रा व्यय और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹15.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and resignation by Group ‘C’ employees.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2853” - “Geological Survey of India - Direction and Administration” - under the following heads:-

(A) “Geological Survey of India” - excess of ₹5703.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹91155.00 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs obtained in December, 2024) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards allowances/ arrears on promotions and filling up of vacant posts.

(B) “Geological Survey of India Activities” - excess of ₹620.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7008.00 lakhs including supplementary grant of ₹25.00 lakhs obtained in December, 2024)) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards payment of rent of hired buildings, foreign travel expenses of 37<sup>th</sup> IGC participants and committed liabilities related to utility services.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹15.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.